Form-1

(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :- **Dated :-** 01-11-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-FG(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.088 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Golim-Pool-Roopa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palethi-Sartoli motor road. (State Sector), Length 8.00 Km. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Dasoli Tehsils.

It is further Certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.088 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s), Gram sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As Above.

District Social Welfare Officer
Chamoli

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Signature :

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 01-11-2018 at time 17:00 HRS at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 4.088 hect for the Construction of Golim-Pool-Roopa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palethi-Sartoli motor road. (State Sector), Length 8.00 Km. Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dasoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 01-11-2018

Signature

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)

DM FRA Letter

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः— जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम–पोल–रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम–पोल–रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.088 हे॰ सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि॰ 21.5.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार हैः—

1— श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2— श्री शिवानन्द सुमन उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री आर॰के॰ विनोद सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य / सचिव
4— श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार बी॰डी॰सी॰ क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत सिकोटी नामक स्थान से गोलिम, रोपा से अ॰जा॰ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.088 हे॰ वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा॰ सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष उप जिलाधिकारी चमोली	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव	बी॰डी॰सी॰क्षेत्र सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य रांगतोली वि॰ख॰-दशोली (चमोली)

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली–पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दषोली में चमोली–पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 4.088 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभाओ की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान

16/08/15

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

प्रधान ग्राम पंचायत ह० दि० वि०ख० दशोली, चमोली

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गोलिम ह० दि० वि० ख० दशोली (चमोली)

PHOTOCOPY ATTESTED AE

सहायक अभियन्ता ग्रा० स० लो० नि० वि० गोपेश्वर

आज दिनांक 11.3.15 को ग्राम पंचायत हरमनी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

① किशन सिंह
② सज्जनसिंह
③ रजपालसिंह
④ मोहनसिंह

प्रधान ग्राम पंचायत
ह० बलमती
दि०
वि०ख० दशोली, चमोली

PHOTOCOPY ATTESTED
AE
सहायक अभियन्ता
ग्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत हरमनी
ह०
दिनांक 11/03/15
वि० ख० दशोली चमोली

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 13.3.15 को ग्राम पंचायत सलोड़ी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

1. गोपालसिंह बर्त्वाल
2. शिवराजसिंह बर्त्वाल
3. सिंह बर्त्वाल

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0
दिनांक
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0
वि0ख0 दशोली, चमोली

PHOTOCOPY ATTESTED

सहायक अभियन्ता
ग्रा० अ० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 15.3.15 को ग्राम पंचायत रोपा-वाछ्वाड़ की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम–रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं॰ 8.00 किमी॰) के निर्माण से कोई आपत्ति नही है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रोपा ... ह० गीतादेवी दिनांक ... वि० ख० दशोली जनपद चमोली

1. प्रमोद सिंह
2. विनोद सिंह
3. [illegible]
4. देवेन्द्र सिंह
5. जगत सिंह
6. दरबान सिंह
7. सुरेन्द्र
8. पंकज सिंह — Pankaj
9. Mohan Singh
10. मोहन सिंह
11. बलदेव सिंह
12. [illegible] सिंह
13. [illegible]
14. [illegible] सिंह

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

[illegible]
कि जो रोड की सर्वे गोलिम से कालीमाटी तक
हुई कि जिसमें की हमारे ग्राम सभा सेमडुग, हरिजन
बस्ती व कालीमाटी तथा रोपा-चलधर से आनेवाली
रोड पर कोई आपत्ति नहीं लगा रहे हैं।

अतः महोदयजी से निवेदन है, की इस रोड के कार्य
को जल्द से जल्द सुरू कर दिया जाये की
कृपा कीजिए।

ग्राम प्रधान सेमडुग

(प्रधान ग्राम पंचायत सेमडुवा, ह० विनीता देवी, दि० [illegible], वि० ख० [illegible] (चमोली))

ग्राम प्रधान रोपा-चलधर

(20) परासना देवी

[signature]

(1) Hemलाल राकेशलाल
(2) गज दलाल
(3) [signature]
(4) सुरेन्द्र लाल
(5) आशाराम
(6) मुकन्दी लाल
कलेन्द्र लाल
(7) पुष्कर लाल
सतीश लाल
(8) जगदीश लाल
(9) गिरीश चन्द
(10) मंगलीलाल
(11) बसन्तीलाल
(12) प्रकाश चन्द्र
(13) [signature]
(14) [signature]
(15) आनन्द [illegible]

(21) उपलो
(22) जुगली देवी
(23) शारदा देवी
(24) Dinesh Prasad
(25) सुनीता देवी
(26) Arjun kumar
(27) राजेश्वरी देवी
(28) [signature]
(29) के[illegible]
(30) कपतरा
(31) खरादुलाल

PHOTOCOPY ATTESTED
[signature] AE

परियोजना का नामः— चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु ५.080 है0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ५.080 है0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि ५.080 है0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत रांगतोली
ह0 ....
दिनांक 1/7/19
वि0 ख0 दशोली चमोली

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 01/7/19 को ग्रामसभा रांगतोली की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	किसनसिंह गुसाईं	[illegible]
2	मातवरसिंह	[illegible]
3	बलवीरसिंह	[illegible]
4	रूपसिंह	[illegible]
5	भगतसिंह	[illegible]
6	रघुवीरसिंह	रघुवीरसिंह
7	रसाम्बीसिंह	रसाम्बीसिंह
8	पीताम्बरसिंह	पीताम्बरसिंह
9	राजपालसिंह	[illegible]
10	गुपालसिंह	सुदामसिंह
11	पार्वती देवी	पार्वतीदेवी
12	जगदी देवी	जगदी देवी
13	भरतसिंह	[illegible]
14	धरमदास	
15	अवतारसिंह	अवतारसिंह
16	हयातसिंह	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत रांगतोली
ह0 [illegible]
दिनांक 01/07/19
वि0 ख0 दशोली चमोली

परियोजना का नामः— चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 5.088 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 5.088 हे0 सिविल / आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का क़ब्जा / कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 5.088 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 1-07-2018 को ग्रामसभा [illegible] की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दौलत सिंह	[illegible]
2	रणजीत सिंह	Ranjit
3	सन्तोष सिंह	[illegible]
4	संत सिंह	[illegible]
5	रजपाल सिंह	Rajpal
6	पुस्कर लाल	पुस्कर लाल
7	सतीश लाल	Satish Lal
6	मुकन्दी लाल	mukandilal
7	आरती देवी	Arti Div
8	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
9	लीला देवी	लीला देवी
10	सीमा देवी	सीमा देवी
11	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र लाल
12	हिम्मत लाल	हिम्मत लाल
13	मोहन लाल	मोहन लाल
14	[illegible]	[illegible]

DM FRA Letter

सचिव 1/7/2018

परियोजना का नामः– **चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.080 है0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.080 है0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि मे कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का क़ब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.080 है0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 [signature]
दिनांक-1-7-2018
विकास खण्ड दशोली चमोली

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 01-07-2018 को ग्रामसभा पल्ला की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपर्िथत हुये :–

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जसपाल सिंह	[illegible]
2	प्रेम सिंह	[illegible]
3	जगवन्त सिंह	जगवन्त सिंह
4	शिशुपाल सिंह	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
7	दिगम्बर सिंह	[illegible]
8.	राजेन्द्र	[illegible]
9.	राकेश	राकेश
10.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
11.	विक्रम सिंह	[illegible]
12.	सोबन सिंह	सोबन
13.	अमित सिंह	[illegible]
14 -	[illegible]	[illegible]

DM FRA Letter

प्रधान ग्राम पंचायत ... विकास खण्ड दशोली ... दिनांक 1.7.2018

परियोजना का नामः— चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली—पलेठी— सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 5.088 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 5.088 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 5.088 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत

29/06/18

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 29/06/18 को ग्रामसभा हरमनी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मनोज सिंह	Manoj
2.	राजपालसिंह	राजपालसिंह
3.	चन्दनसिंह	चन्दनसिंह
4.	पूरनसिंह	पूरनसिंह
5.	दर्शनसिंह	दर्शनसिंह
6.	महेश्वरी देवी	महेश्वरी देवी
7.	बीरेन्द्रसिंह	Birendra
8.	राजेन्द्रसिंह	[illegible]
9.	मोहनसिंह	[illegible]
10.	गबरसिंह	गबरसिंह
11.	Darwan Singh Rawat	Rawat
12.	कमल सिंह	कमलसिंह
13.	सन्दीप सिंह	[illegible]
14.	जगदीश रावत	जगदीश रावत

DM FRA Letter

ग्राम पंचायत ... 29/06/18

परियोजना का नामः-- चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली–पलेठी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी. यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत गोलिम वि० ख० दशोली
ह० [signature]
दि० 08/07/2020

DM FRA Letter

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 03/07/2018 को ग्रामसभा गोलिम की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

कम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	नन्दन सिंह फरस्वाण	[signature]
2-	दिलवर सिंह	[signature]
3-	मनवर सिंह	[signature]
4.	सिताब सिंह	[signature]
5.	देवेन्द्र सिंह	[signature]
6	जगत सिंह	[signature]
7-	रूप चन्द्र आर्य	[signature]
8-	सुरेन्द्र	[signature]
9-	आनन्द लाल	आनन्दलाल
10	जसपाल लाल	जसपाललाल
11.	दिनेश लाल	दिनेशलाल
12.	पंकज सिंह	[signature]
13	महान सिंह फरस्वाण	[signature]
14	देवेन्द्र सिंह	[signature]
15	नन्दन सिंह [illegible]	[signature]

DM FRA Letter

ग्राम पंचायत गोलिम प्रधान ह० [signature] दि० 03/07/2018 वि० ख० दशोली (चमोली)